संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

रेत के अवैध परिवहन करते 09 हाइवा जब्त

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा बुधवार को रेत के अवैध परिवहन की सूचना पर ग्राम पीढ़ी में जांच के दौरान बल्दा कछार (बलौदाबाजार) से रेत का अवैध परिवहन करते 01 हाइवा जप्त कर थाना तुमगांव की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। इसी तरह आज अवैध रेत परिवहन की सूचना पर सिरपुर क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा जांच कर 08 हाइवा वाहन को जप्त किया गया है। उक्त सभी हाइवा वाहन ग्राम बल्दाकाछार (बलौदाबाजार) से रेत लोड कर परिवहन कर रहे थे।

स्कूटी की डिक्की से 6 लीटर महुआ शराब जब्त

महासमुंद। बागबाहरा पुलिस ने शराब का परिवहन करते एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक वार्ड 1 भानपुर झलप रोड बागबाहरा निवासी दिलीप चौहान की बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी की सीट के नीचे डिक्की से 6 लीटर महुआ शराब व स्कूटी जब्त की गई है।।

मामूली बात पर मारपीट

महासमुंद। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खट्टी में बैठक को लेकर युवक से मारपीट हो गई। वार्ड 11 खट्टी निवासी अमित कुमार साहू ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को बैठक के संबंध में बात करने पर देवकुमार साहू ने गाली देते हुए मारपीट की। साथ ही दिलीप साहू, सोनू साहू व पवन साहू ने भी उससे गाली-गलौज कर जान की धमकी दी।

महुआ शराब बरामद

महासमुंद। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम नवाडीह के एक घर से अवैध महुआ शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम नवाडीह में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छत्तर सिंह ठाकुर के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब जब्त किया।

24 वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मार्च पास्ट व सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ समापन

खेलों में हार-जीत से बढ़कर हमारे अंदर की क्षमता, मेहनत-आत्मविश्वास मायने रखता है: रूपकुमारी

स्वदेश संवाददाता, महासमुंद।

जिले में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन सांसद रूपकुमारी चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम का समापन खिलाड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट के साथ किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। विजेता खिलाड़ियों को सांसद रूपकुमारी चौधरी व विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा के हाथों कप और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में बस्तर एवं बिलासपुर संभाग संयुक्त रूप से ओवर ऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। इस दौरान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह भी मौजूद थे। समापन अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में टीम भावना के साथ खेलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों में हार-जीत से बढ़कर हमारे अंदर की क्षमता, मेहनत और आत्मविश्वास मायने रखता है। जो खिलाड़ी मैदान में उतरे, वे पहले से ही विजेता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डर और कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी अपनी प्रतिभा और कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किए है। आप सभी इसी तरह राज्य को गौरवान्वित करते रहें। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा मैदान पर खेलते देखना सुखद होता है। खेल का मैदान भी एक तरह की पाठशाला है। यहां हार और जीत से ज्यादा आवश्यक मैदान में उतरकर खेलना है। ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते है। आप सभी में खेल भावना, जोश और उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए और अनुशासन भी बनाए रखा यह वास्तव में एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और प्रतियोगिता से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी, कोच को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पूर्व नपा अध्यक्ष पवन पटेल, स्काउट संघ अध्यक्ष ऐतराम साहू, प्रदीप चंद्राकर, पार्षदगण महेन्द्र जैन, मीना वर्मा, मुन्ना देवार, मनीष शर्मा एवं कौशिल्या बंसल, आनंद साहू, प्रकाश शर्मा, हनीश बग्गा, जिला शिक्षा अधिकारी मोहन राव सावंत, सहायक संचालक नंद कुमार सिन्हा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, खेल से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, खिलाड़ी और खेल प्रेमी जन मौजूद थे।

एक करोड़ रुपए मुआवजा एवं परिवार के दो सदस्यों को आजीवन पेंशन देने की मांग

प्लांट में मजदूर की मौत, परिजन और साथी बैठे धरने पर

स्वदेश संवाददाता, सिमगा।

तहसील सिमगा और हथबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रिंगनी में स्थित ए,पी,एल,अपोलो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा होने के कारण एक मजदूर रविन्द्र यादव की लोहे के वजनी पाइप के बीच दबने से बीते शाम उसकी दर्दनाक मौत हो गई।कंपनी प्रबंधन के लोग अपनी नाकामी छिपाने के उद्देश्य से मजदूर की मौत के बाद मृत शरीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमगा लाए थे, घटित घटना से गुस्साए मजदूर साथी और परिजन बड़ी संख्या में स्टील प्लांट के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर एक करोड़ रुपए मुआवजा एवं परिवार के दो सदस्यों को आजीवन पेंशन देने की मांग कर रहे थे ।सूत्रों के अनुसार मांग को लेकर मजदूर संगठन और कंपनी प्रबंधन के बीच देर रात को 35,लाख रुपये का मुआवजा एवं अन्य मांगें पूरी होने के बाद मजदूर संगठन और परिजनों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है ।मजदूरों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में बलौदाबाजार, हथबंद, सुहेला, सिमगा के पुलिस बल की तैनाती की गई थी, क्षेत्रीय विधायक इंद्र साव सहित उनके समर्थक भी धरना स्थल पर दिन भर डटे रहे और उचित मुआवजे की मांग की ।विदित हो कि अपोलो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा काम के दौरान मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर शुरू से ही लापरवाही बरती जा रही है, प्लांट में सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते इसके पहले भी छोटे बड़े कई हादसे हो चुके हैं, किन्तु प्रभावशाली प्लांट प्रबंधन द्वारा मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है ।वहीं बलौदाबाजार जिला एवं उद्योग प्रशासन व सिमगा के राजस्व अनुविभाग प्रशासन तहसील प्रशासन द्वारा प्रबंधन के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करते हुए मामला रफादफा कर दिया जाता है, अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रभावशाली उद्योग प्रबंधन के दबाव में नौकरशाहों द्वारा मजदूरों की होती जा रही मौत के मामले को रफा-दफा की जाती रहेगी, ।देखना यह होगा कि इस दर्दनाक घटना के बाद राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा सिमगा क्षेत्र के उद्योगों में बढ़ती जा रही सुरक्षा लापरवाही पर क्या कदम उठाती है या फिर समय के सांथ जांच की फाइलों में धूल जमा होकर सालों तक पड़ी रह जाएगी, जैसा कि अब तक होते आया है ।

करणी कृपा पावर प्लांट हादसा : सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को नोटिस जारी

महासमुंद। करणी कृपा पावर प्लांट ग्राम खैरझिटी, महासमुंद में मजदूरों के साथ हुई दुर्घटना के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने विलंब से जानकारी देने के संबंध में सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कक्ष क्रमांक 22 पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने कहा गया है। ज्ञात है कि करणी कृपा पावर प्लांट खैरझिटी तहसील व जिला महासमुन्द में 08 सितंबर 2024 को दुर्घटना घटित होने से 03 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसकी सूचना प्रबंधन द्वारा पुलिस जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी।

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड ने उत्पादों के लिए नई पैकेजिंग किया लॉन्च

स्वदेश संवाददाता, रायपुर

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, भारत में तेजी से बढ़ती एफएमसीजी कंपनी, ने अपने 10X ब्रांड के उत्पादों के लिए नई पैकेजिंग पेश की है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का चेहरा होगा। यह कदम कंपनी के ब्रांड को अधिक लोगों तक पहुँचाने और ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में है। इस नई पैकेजिंग में सलमान खान को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और इसे बासमती चावल, आटा और अन्य उत्पादों पर लागू किया जाएगा। नया डिजाइन आधुनिक और आकर्षक है, जो 10X ब्रांड की गुणवत्ता और प्रामाणिकता को दर्शाता है। यह पैकेजिंग ब्रांड की नई ऊर्जा को दिखाती है और उन उपभोक्ताओं को पसंद आएगी जो गुणवत्ता और विश्वसनीयता की मांग करते हैं। जीआरएम ओवरसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, अतुल गर्ग ने कहा, ₹हम सलमान खान के साथ नई पैकेजिंग पेश करके बहुत खुश हैं। सलमान मजबूत और विश्वसनीय व्यक्तित्व वाले हैं और वे हमारे ब्रांड के लिए एकदम सही चेहरा हैं। यह नया पैकेजिंग डिजाइन हमारे उत्पादों की उच्च गुणवत्ता का वादा है। हमें लगता है कि सलमान खान की उपस्थिति उपभोक्ताओं के बीच हमारे ब्रांड को और लोकप्रिय बनाएगी।₹

यह नया पैकेजिंग डिजाइन जीआरएम की 10X ब्रांड को ताजगी देने और बाजार में उसकी पहचान बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। सलमान खान की लोकप्रियता का फायदा उठाकर, जीआरएम विभिन्न उपभोक्ता समूहों, खासकर भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, तक अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता है।

हाल ही में, कंपनी ने रेज कॉफी के मालिक स्वमभान कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में बड़ा निवेश किया है।

बाइक से गिरकर मौत

महासमुंद। पिथौरा थाना क्षेत्र के कौडिया- पिलवापाली के मध्य मार्ग पर बाइक में पीछे बैठे व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। दीनदयाल यादव ने बताया कि 8 जुलाई को उनका बेटा डिगेश्वर यादव, भांजा महेश यादव शादी में शामिल होने पिलवापाली गए थे। किसी काम से पिथौरा से पिलवापाली जाते समय भानू यादव की बाइक क्र सीजी 06 जीडब्लु 7823 को मेरा भांजा महेश यादव चला रहा था। पीछे पुत्र डिगेश्वर बैठा था। पिलवापाली कौडिया के मध्य सड़क में गिरने से मेरे पुत्र को गंभीर चोटें आई, ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बाइक चालक महेश यादव के विरूद्ध धारा 106(1) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया है।

19 लीटर महुआ शराब जब्त

महासमुंद। बसना पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से कुल 19 लीटर महुआ शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया।

न्यायालय तहसीलदार कवर्धा, जिला- कबीरधाम छ.ग.

ईश्तहार

ई कोर्ट नंबर 202409082400016/ब-121/2023-24
ग्राम-घुकसा, प.ह.नं. 08

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक किशोर आ. राजकुमार, जाति-सतनामी, निवासी ग्राम घुकसा, तह.- कवर्धा, जिला- कबीरधाम के द्वारा ग्राम घुकसा प.ह.नं. 08 स्थित भूमि ख.नं. 121/2, 121/3 रकबा क्रमशः 0.227, 0.227 हेक्टे. कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 0.454 हेक्टे. जो आवेदक के नाबालिग पुत्र मयंक ना.बा. पिता किशोर के नाम पर भूमि स्वामित्व हक में ऑनलाईन राजस्य अभिलेख में दर्ज है, उक्त भूमि का ऋणपुस्तिका गुम हो जाने के कारण डूप्लीकेट किसान किताब पुस्तिका प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति अथवा दावा पेश करना हो तो दिनांक 14.10.2024 को प्रातः 10.00 बजे तक मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं।

उपरोक्त तिथी पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे न्यायालय की मुंहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

मुहर

तहसीलदार
कवर्धा

न्यायालय नजूल अधिकारी कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्रमांक 202409201500008/अ 6/2023 2024.

एतद् द्वारा आम जनता को मृचित किया जाता है कि उपगक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक श्री महेश कुमार चौहान पिता स्व. गममृरत सिंह जाति क्षत्रिय निवासी-कोण्डागांव, तहसील व जिला कोण्डागांव (छ.ग.) के द्वारा नगर कोण्डागांव के मोहल्ला - विकासनगर स्थित भूमि शीट नम्बर-01 ब्लाक-5 श्रृखण्ड क्रमांक 152/क क्षेत्रफल 780 वर्गफीट भूमि भू-भाटक 8.38 पक्का मकान नजूल संधारण खमरा में शांति देवी पति राम सुरत सिंह चौहान के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक के माता जो शांति देवी को मृत्यु दिनांक 28.09.2018 को होने के कारण छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत फौती नाम खारिज कर मृतिका के वैध वारियों का नाम दर्ज करवाने हेतु तलवाना, खसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रिता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति सहित इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार का कोई दावा या आपत्ति करना हो तो वे दिनांक 03.10.2024 तक अपना दावा आपत्ति मेरे समक्ष कार्यालय समय में मस्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19.09.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर

नजूल अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.)

ईश्तहार

ई कोर्ट नं......
ग्राम बालोद
तहसील बालोद

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती दिनेश्वरी साहू पति स्व. उत्तम साहू जाति तेली निवासी ग्राम नयापारा बालोद तहसील बालोद जिला बालोद द्वारा ग्राम बालोद प.ह.नं. 06 स्थित भूमि खसरा नं. 100/18 रकबा 0.116 हे. कुल खसरा नं0 01 कुल रकबा 0.116 हे0 गैर कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तन बाबत आवेदन नक्शा खसरा एवं बी-1, ब्लू प्रिंट, ऋण पुस्तिका व अधिकार अभिलेख की छाया प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति / दावा स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उद्घोषणा दिनांक 9/10/24 के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24/9/24 को जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बालोद, जिला-बालोद

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.)

ईश्तहार

ई कोर्ट नं......
ग्राम बालोद
तहसील बालोद

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री वर्णित टावरी पिता श्री रूपेश टावरी जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम बालोद तहसील बालोद जिला बालोद द्वारा ग्राम बालोद प.ह.नं. 06 स्थित भूमि खसरा नं. 616/62 रकबा 0.0108 हे. कुल खसरा नं0 01 कुल रकबा 0.0108 हे. गैर कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तन बाबत आवेदन नक्शा खसरा एवं बी-1, ब्लू प्रिंट ऋण पुस्तिका व अधिकार अभिलेख की छाया प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति / दावा स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उद्घोषणा दिनांक 8/10/24 के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 23/09/24 को जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बालोद, जिला-बालोद

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला- बालोद (छ.ग.)

ईश्तहार

ई कोर्ट नं......
ग्राम बालोद
तहसील बालोद

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका भारती साहू पिता स्व. उत्तम कुमार साहू जाति तेली निवासी ग्राम नयापारा वार्ड नं. 03 बालोद तहसील बालोद जिला बालोद द्वारा ग्राम बालोद प.ह.नं. 06 स्थित भूमि खसरा नं. 99/37 रकबा 0.016 हे. कुल खसरा नं0 01 कुल रकबा 0.016 हे. गैर कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तन बाबत आवेदन नक्शा खसरा एवं बी-1, ब्लू प्रिंट, ऋण पुस्तिका व अधिकार अभिलेख की छाया प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति / दावा स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उद्घोषणा दिनांक 10/10/24 के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 25/9/24 को जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बालोद, जिला-बालोद

एयरटेल ने स्पैम पर कसी नकेल

स्वदेश रायपुर-स्पैम की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक अग्रणी कदम उठाते हुए, भारती एयरटेल ने भारत का पहले नेटवर्क-आधारित, एआई-संचालित स्पैम डिटेक्शन समाधान लॉन्च किया, जो इसके ग्राहकों के लिए स्पैम कॉल और संदेशों की समस्या का काफी हद तक समाधान कर देगा। देश में किसी दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा अपनी तरह का यह पहला समाधान, ग्राहकों को सभी संदिग्ध स्पैम कॉल और एसएमएस के बारे में वास्तविक समय में सचेत कर देगा। यह समाधान निःशुल्क है और सभी एयरटेल ग्राहकों के लिए बिना किसी अनुरोध या ऐप डाउनलोड किए स्वयं सक्रिय हो जाएगा।

गोपाल विट्टल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारती एयरटेल ने कहा,* "स्पैम ग्राहकों के लिए एक खतरा बन गया है। हमने इस समस्या को हल करने के लिए पिछले बारह महीनों में काफी काम किया हैं। आज उठाया जा रहा है यह कदम एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि हम देश का पहला एआई-संचालित स्पैम मुक्त नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं जो हमारे ग्राहकों को घुसपैठ और अवांछित संचार के निरंतर हमले से बचाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, *₹दोहरी परत वाली सुरक्षा के रूप में डिज़ाइन किए गए इस समाधान में दो स्तरीय फ़िल्टर हैं - पहला नेटवर्क स्तर पर और दूसरा आईटी सिस्टम स्तर पर। हर कॉल और एसएमएस इस दोहरी परत वाली एआई शील्ड से होकर गुज़रता है।

न्यायालय नजूल अधिकारी कोंडागांव, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.- 202409201500010/अ-6/2023-24

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाना है कि आवेदक महेश कुमार चौहान पिता स्व. रामसूरत सिंह जाति क्षत्रिय निवासी कोण्डागांव, तहसील व जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) क द्वारा (1) नगर-कोण्डागांव के मोहल्ला तहसीलपारा में स्थित भूमि शीट नंबर 02 भूखण्ड क्रमांक 663/1/59 क्षेत्रफल 784 वर्गफुट भूमि भू-भाटक 1821.00 रुपये व्यावसायिक भवन नजूल संधारण खसरा में रामसूरत सिंह चौहान पिता मोहन सिंह चौहान जाति क्षत्री मा.देह के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं (2) नगर-कोण्डागांव के मोहल्ला-विकासनगर में स्थित ब्लाक नंबर 05 भूखण्ड क्रमांक 691/1/67 क्षेत्रफल 1620 वर्गफुट भूमि भू-भाटक 104.10 पैसे आवासीय मकान नजूल संधारण खसरा में गममृरत सिंह पिता मोहन सिंह जाति क्षत्री सा.देह के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक अपने पिता रामसूरत सिंह चौहान पिता मोहन सिंह चौहान जाति क्षत्री की दिनांक 23.03.2022 को मृत्यु होने के कारण छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत आबंटित भूमि में फौती का नाम खारिज कर वैद वारिसों का नाम दर्ज किये जाने हेतु तलवाना, मेन्टोनेन्स खनग, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति सहित इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार का कोई दावा या आपत्ति करना हो तो वे दिनांक 03.10.2024 तक अपना दावा आपत्ति मेरे समक्ष कार्यालय समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा आरपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा में आज दिनांक 19.10.2024 को जारी किया।

मुहर

नजूल अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी कोंडागांव, जिला कोंडागांव (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.-202409201500007/अ-6/2023-24
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग.

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अभयदास पिता स्व. अजय दास उम्र 23 वर्ष जाति कायस्त निवासी म.न.-222 आड़काछेपड़ापारा कोण्डागांव तहसील व जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) के द्वारा नगर-कोण्डागांव के मोहल्ला-आड़काछेपड़ापारा में स्थित भूमि शीट नं. 01 भूखण्ड कमांक 245/4 क्षेत्रफल 4800 वर्गफुट भूमि आवासीय मकान नजूल संधारण खसरा में 1. श्रीमती लक्ष्मीदास पति स्व. अजयदास, 2. आश्रिता दास, अंकितादास पिता स्व. अजयदास 3. अभय दास पिता स्व. अजयदास जाति कायस्त सा. देह के नाम से दर्ज है। उक्त भूखण्ड क्रमांक 245/4 क्षेत्रफल 4800 वर्गफुट भूमि वर्गफुट भूमि में से अनावेदकगण 1 श्रीमती लक्ष्मीदास पति स्व. अजयदास, 2. आश्रिता दास पिता स्व. अजयदास 3. अंकितादास पिता स्व. अजयदास जाति कायस्त सा. देह द्वारा अपने हक व हिस्से में आने वाली भूमि क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट भूमि तथा उक्त भूमि में से क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट भूमि पर व्यवसायिक परिसर एवं क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट पर सर्व सुविधा युक्त मकान निर्मित को पंजीयन कार्यालय कोण्डागांव में ई-पंजीयन क्रमांक IN-CG57260889343942W हकत्याग विलेख क्रमांक CG-2024-25-194-257 बैनामा दिनांक 20.08.2024 के द्वारा हक त्याग करने के पश्चात हकग्रहिता द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत उक्त हक त्याग की गई भूमि से हकत्यागकर्तागण का नाम खारिज कर हकग्रहिता स्वयं का नाम दर्ज करवाने हेतु तलवाना, नक्शा, मेन्टीनेन्स खसरा एवं हकत्याग विलेख की छायाप्रति सहित इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार का कोई दावा या आपत्ति करना हो तो वे तिथि 03.10.2024 तक अपना दावा आपत्ति मेरे समक्ष कार्यालय समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19.09.2024 को जारी किया जाता है।

मुहर

तहसीलदार
कसडोल

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE
Apna Ghar. Apni Pehchan.

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रमांक 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे-411036

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत धारा 13(2) मांग सूचना

आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से अपनी अचल संपत्ति/संपत्तियों को गिरवी रखकर गृह ऋण/संपत्ति सुविधा के बदले ऋण का लाभ उठाया है। 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल दिया गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) इसके बाद इसे सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है। आपने पुनर्भुगतान में चूक की है और इसलिए, आपका ऋण /एस को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्ति की सुरक्षा और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत एक डिमांड नोटिस अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया, हालांकि वही बिना सेवा के वापस आ गए हैं। इसलिए इसकी सामग्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार वैकल्पिक सेवा के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है।
उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया बकाया, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और इसके तहत दावा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

स. क्र.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और ऋण राशि का नाम	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / देय राशि रु.
1.	श्यामाचरण चौबे, कुसुम लता चौबे ऋण राशिः रु. 15,45,000/- जिसमें शामिल हैं रु. 2,45,000/- ऋण खाता संख्या HF0023H21100030 और रु. 4,75,000/- ऋण खाता संख्या HF0023H20100003 और रु. 8,25,000/- ऋण खाता संख्या HF0023H20100002	संपत्ति वह सब टुकड़ा और पार्सल मौजा - ग्राम इंदवानी, प.ह.नं. 28, आर.एन.एम. राजनांदगांव-2, ब्लॉक, जनपद, तहसील और जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में स्थित ग्राम पंचायत इंदवानी की सीमा के अंतर्गत संपत्ति, खसरा नं. (भाग) 413, माप 700 वर्ग फीट = 65.05 वर्ग मीटर (इसके बाद प्रश्नगत संपत्ति के रूप में संदर्भित)। सीमाएं (पंजीकृत उपहार विलेख के अनुसार):- **उत्तर**:- युवराज का घर, **दक्षिण**:- यशवंत का घर, **पूर्व**- गली, **पश्चिम**- सहसराम की बाड़ी।	08/09/2024 ऋण संख्या : HF0023H21100030 रु. 2,79,818/- (दो लाख उन्नासी हजार आठ सौ अठारह रुपए मात्र) पुनर्भुगतान तक @13.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित। ऋण संख्या : HF0023H20100003 रु. 5,15,366/- (पांच लाख पंद्रह हजार तीन सौ छियासठ रुपये मात्र) पुनर्भुगतान तक @14.5% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित ऋण संख्या : HF0023H20100002 रु. 8,65,466/- (आठ लाख पैंसठ हजार चार सौ छियासठ रूपये मात्र) पुनर्भुगतान तक @9.72% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहित।

इसलिए आप उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/गारंटरों को इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज के साथ उपर्युक्त मांग की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी लेने के लिए बाध्य होगा। उपर्युक्त सुरक्षा/सुरक्षाओं को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस बीच, आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थान : राजनंदगावं (छ.ग.)
दिनांक : 27.09.2024

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

kotak

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400 051
कॉर्पोरेट कार्यालय : कोटक इन्फिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नंबर 21, इन्फिनिटी पार्क, ऑफ डब्ल्यू.ई. हाईवे, गोरेगांव, मुंबई - 400 097
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, मुक्ता प्रयाग कॉम्प्लेक्स निरंकारी फर्नीचर के पास पंडरी रायपुर 492001 छ.ग.

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पास गिरवी है, और जिसका भौतिक कब्ज़ा प्राधिकृत द्वारा ले लिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकारी, जिसके विरुद्ध आरक्षित मूल्य के रूप में उल्लेखित राशि पर एक इच्छित क्रेता से रुचि की अभिव्यक्ति/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसलिए वसीयत के तहत वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मैसर्स के वेब पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड **(www.c1india.com)** पर अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा विवरण नीचे दिया गया है:-

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि / नीलामी की तिथि/समय
ऋण खाता संख्या- एचएफ37609378 और सीआरएन संख्या 249101262 और ऋण संख्या एचएफ ओडी 4912581367 और सीआरएन संख्या 249104770 1. श्रीमती आरती पोद्दार पत्नी श्री आलोक पोद्दार, ई 17 कैपिटल सिटी, फेज 2 सड्डू बरोंडा रोड, भवन सरधू के पास, रायपुर-492007 छ.ग. उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, 2. मेसर्स पोद्दार स्टील, एकमात्र स्वामी श्री आलोक पोद्दार के माध्यम से, पोद्दार स्टील, स्टील, दुकान क्रमांक 60, आदिश्वर कॉम्प्लेक्स राम सागर पारा रायपुर-492001 छ.ग. उधारकर्ता 3. श्री आलोक पोद्दार, ई 17 कैपिटल सिटी, फेज 2 सड्डू बरोंडा रोड, भवन सरधू के पास, रायपुर-492007 छ.ग. ...स्वामी/गारंटर/बंधककर्ता	मांग सूचना दिनांक 14-07-2022, रु.33,30,456.930/-, (रुपये तैंतीस लाख तीस हजार चार सौ छप्पन और तिरानबे पैसे मात्र) 12-07-2022 तक	गिरवी रखी गई संपत्ति का पूरा टुकड़ा जिसका पता है प्लॉट नं. ई-17, बी-1, खं. नं. 266/1, पी.सी. नं. 96, आरएनएम-धरसींवा 1, ग्राम बरोंडा, रायपुर (छ.ग.) मापित क्षेत्र 1500 वर्ग फीट घिरा है **उत्तर**- रास्ता (सड़क) **दक्षिण**- प्लॉट नं. ई-16 **पूर्व**- खुली भूमि पश्चिम- रास्ता (सड़क) जिस पर पूरा निर्माण खड़ा है।	रु. 39,00,000/- (रुपये उनचालीस लाख मात्र)	रु. 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)	08/अक्टूबर/2024 11:00 बजे - 12:00 बजे **नीलामी की तिथि/समय** 16/अक्टूबर/2024 11:00 बजे से 12:00 बजे तक

बोली वृद्धि राशि 50,000/- प्रस्ताव/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः- 15/अक्टूबर/2024, शाम 5.00 बजे तक।

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तेः-
(1) नीलामी बोली दस्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली दस्तावेजों, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति के विवरण और बोली फॉर्म के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट यानी **https://www.bankeauctions.com** पर जा सकते हैं, जिसे ऑनलाइन जमा किया जाएगा (2) सभी इच्छुक खरीदारों/बोलीदाताओं को उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए **https://www.bankeauctions.com** के रूप में ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क बनाना होगा (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार धरणी कृष्णा के मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से मोबाइल नंबर- 9948182222 और ई-मेल आईडीः **mpcg@cvindia.com** और **support@bankeauctions.com** के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं (4) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति/यों में कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाता पूर्व नियुक्ति के साथ ऊपर बताए गए अनुसार या किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हें अपनी बोली जमा करने से पहले भार, ई-नीलामी पर रखी गई संपत्ति/यों के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे केएमबीएल को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा; ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक खरीदार/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल **(https://www.bankeauctions.com)** पर सुरक्षित संपत्ति के ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण **'कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड'** के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत/अपलोड करना होगा, साथ ही ऊपर निर्दिष्ट अनुसार पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास पते का प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्ताव और पते के प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रतियां भी साथ लानी होंगी। (5) ई-नीलामी में सफल नहीं होने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर केएमबीएल द्वारा वापस कर दी जाएगी। (6) खरीद प्रतिफल की शेष राशि सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की **'बिक्री की पुष्टि'** की तिथि से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार लिखित रूप में सहमत की गई विस्तारित अवधि तक देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशि जब्त की जा सकेगीः
ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत 15 दिन का वैधानिक नोटिस दिया जाता है कि वे अपनी देनदारी का पूरा भुगतान करें और ऊपर बताए गए बकाए का भुगतान इस नोटिस की तारीख से तीस दिन के भीतर करें, अन्यथा सुरक्षित संपत्ति को ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। यदि अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में बिक्री नोटिस के प्रकाशनों में कोई विसंगति है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी। यदि ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बिक्री की तारीख से पहले बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो नीलामी रोक दी जाएगी। बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी रवींद्र द्विवेदी ☏ +919764443818, और श्री अशोक मोटवानी ☏ 9873737351 पर संपर्क करें। विशेष निर्देश- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता, मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर आयोजित की जाएगी, जबकि बोलीदाता आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने घर / कार्यालयों / बोली के स्थान से उद्धृत करेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य पैराफर्नेलिया आवश्यकताओं को बोलीदाताओं द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से) बोलीदाताओं की पूरी जिम्मेदारी होगी और न तो केएमबीएल और न ही सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। हालाँकि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थानः- रायपुर छ.ग. दिनांकः 27/09/2024

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड